रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 1981/माघ 21, 1902
No. 46] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 1981/MAGHA 21, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1981

सा. का. नि. 56 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973 का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (क) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973 के नियम 5 के उप-नियम (2) में "अनुज्ञप्तिधारी का कार्य ज्ञापन अधिकारी के समाधानप्रद रूप में हो", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् —

"(1) अनुज्ञप्तिधारी सभी विहित विवरणियां भेजता रहा है

(2) उसने सभी विहित अभिलेख समाधानप्रद रूप से रखे हैं ; और

(3) अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए अधिकथित सभी शर्तों का अनुपालन कर रहा है ।"

(ख) नियम 5 के उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस उप-नियम के अधीन विस्तारण के लिए आवेदन अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा समाप्ति की तारीख से एक मास पूर्व तक भी ग्रहण किया जा सकेगा । यदि उसका समाधान हो जाता है कि इस विस्तारण के लिए आवेदन करने में विलम्ब ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है जो आवेदक के नियंत्रण से परे थी ।"

(ग) नियम 6 के दूसरे परन्तुक में "इस शर्त के रहते अनुदत्त की जा सकती है कि ऐसे वारिस द्वारा अनुज्ञापन

अधिकारी को प्ररूप 1-क में एक आवेदन किया जाए' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे :—

' इस शर्त के अधीन अनुदत्त की जा सकती है कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की तारीख से तीन मास के भीतर उसके वारिस द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप 1-क में आवेदन किया जाए ।''

[सं 1/64/76-पुरा]

(श्रीमती) देबला मित्र, अपर महानिदेशक

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi the 10th February 1981

G S R 56(L)—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Antiquities and Art Treasures Act 1972 (52 of 1972) the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Antiquities and Art Treasures Rules, 1973 namely —

1 (1) These rules may be called the Antiquities and Art Treasures (Amendment) Rules, 1981

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 (a) In sub rule (2) of rule 5 of the Antiquities and Art Treasures Rules 1973 for the words 'the licensing officer is satisfied with the performance of the licensee' the words 'the licensee (i) has been submitting all the prescribed returns (ii) has satisfactorily maintained all the prescribed records and (iii) continues to comply with all the conditions laid down for the grant of licence' shall be substituted,

(b) after sub-rule (2) of rule 5 the following proviso shall be inserted namely —

'Provided that an application for extension under this sub rule may be entertained by the licensing officer even upto one month before the date of expiry if he is satisfied that the delay in applying for extension was due to circumstances beyond the control of the applicant,

(c) in the second Proviso to rule 6 after the words subject to the condition that an application in Form IA is made by that heir to the licensing officer, the words within three months of the date of death of the licensee' shall be inserted

[No 1/64/76 Ant]

(MRS) D MITRA, Additional Director General

PRINTED BY THE MANAGER GOVT OF INDIA PRESS RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI 110054 1980